संख्या-748 / III(2) / 08-42(प्रा.आ.) / 07 टी0सी0 II

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 24 मार्च, 2008

विषयः- वित्तीय वर्ष 2007-08 में नये कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0 लो0नि0वि0 पौड़ी के पत्र सं0-1040/9/08 दिनांक 12-03-08, सं0-1001/(12)गोपेश्वर-पर्व0/08 दिनांक 07-03-08, सं0-1406/9 याता0-पर्व/08 दिनांक 13-03-08, सं0-1036(2)/36(492)याता-पर्व/08, दिनांक 10-03-08, सं0-1402/9 याता0-पर्व/08 दिनांक 13-03-08, सं0-1403/9 याता0-पर्व/08 दिनांक 13-03-08 तथा मुख्य अभियन्ता कु0क्षे0 लो0नि0वि0 अल्मोड़ा के पत्र सं0-2509/1003 याता0-कुमायूँ/2008 दिनांक 11-03-08 के कम में एवं शासनादेश स0- 171/III-2/08-42(प्रा0आ0)/07 दिनांक 17-01-08 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 17-01-08 के क0-2 पर उल्लिखित शर्त के कम में उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये गये 38 कार्यो के आगणनों के कुल लागत रूपये 3785.09 लाख पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 3603.10 लाख (रूपये छत्तीस करोड़ तीन लाख दस हजार मात्र) की धनराशि की संलग्न विवरण के कॉलम-6 के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9. उक्त कार्यो में से यदि कोई कार्य या उसका कोई भाग यदि किसी अन्य विभागीय/विभागीय बजट से कराया गया है तो उन योजनाओं के लिये स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके शासन को सूचित ... किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड
गौचर

शासनादेश संख्या 748 / III(2)/08-42(प्रा0आ0)/07 टी0सी0 II दिनांक 24 मार्च, 2008 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र स	शासनादेश सं0 171/III-2/08-42(प्रा.आ.)07 दि0 17.1.08 में कार्य का उल्लिखित क्रमांक	कार्य का नाम (शासनादेश दिनांक 17.01.08 के अनुसार)	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी0ए0 सी0 वित्त द्वारा आंकलित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	1	रूद्रप्रयाग से बांसवाणा, किरोइ जलई, गैर कण्डारा मोटर मार्ग	4.00	147.00	147.00
2	7	जनपद चमोली में दुगड्डा– बरतोली मोटर मार्ग का विस्तार	3.00	110.25	110.25
3	8	जनपद चमोली में कर्णप्रयाग – नौटी–किरसाल मोटर मार्ग में खेत गधेरे से खेती–जखेट– चौरासैण तक मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	183.75	183.75
4	9	जनपद चमोली में गौचर–सिदोली मोटर मार्ग में खालीगाड़ से खरसाई–माठा –ग्वाड़ मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	110.25	110.25
5	10	जनपद चमोली में विछौना मोटर मार्ग का विस्तार / पुनर्निर्माण	3.00	61.65	61.35
6	11	जनपद चमोली में कर्णप्रयाग–नैनीसैण–डिम्मर मोटर मार्ग डामरीकरण	3.00	75.60	75.60
7	12	जनपद चमोली में गौचर–शैल–दुवा–कांडा हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन	5.00	61.50	61.50
8	13	जनपद चमोली में उमट्ठा– मौणा हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन	2.00	24.60	24.60
9	17	देहरादून में राजपुर नागल सहस्त्रधारा मार्ग रिंग रोड गार्डर पुल से चालंग गांव का सडक नव निर्माण	1.50	127.37	118.00
10	23	देहरादून में सर्कुलर रोड़ से वैलहम स्कूल तक सड़क का चौड़ीकरण।	1.46	15.93	13.09
11	45	जनपद पौड़ी गढ़वाल में सिलोगी – घनशाली मोटर मार्ग का विस्तार	2.00	70.00	70.00
12	46	जनपद पौड़ी गढ़वाल में नांठखाल–नांद मोटर मार्ग का विस्तार	2.00	70.00	70.00
13	47	जनपद पौड़ी गढ़वाल में धीडखाल–नैरूल मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	70.00	70.00
14	48	जनपद पौड़ी गढ़वाल में मष्टखाल रैंस मोटर मार्ग का कोठार तक विस्तार	2.00	70.00	70.00
15	49	जनपद पौड़ी गढ़वाल में ढांसी–कडघर मोटर मार्ग का विस्तार	2.00	70.00	70.00
16	50	जनपद पौड़ी गढ़वाल में डोबर से पदेख ढौंरी डाबर मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	70.00	70.00
17	51	जनपद पौड़ी गढ़वाल में मालन नदी	60	97.9[illegible]	97.[illegible]

Photocopy attached

यथाप्रति प्रमाणित

सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर (चमोली)

		[illegible] निगाल नदी पर पैदल पुल का निर्माण	मीटर		
35	339	जनपद चमोली में ग्राम सभा नैल ऐथा में निगोल नदी पर नैलाबाड़ में पैदल पुल का निर्माण	36 मीटर	59.85	59.85
36	149	जनपद देहरादून में नेहरू कालोनी में ए. बी.सी एवं आई ब्लाकों के अन्तर्गत मार्ग / डामरीकरण / नाली निर्माण	4.50	256.95	234.95
37	24	देहरादून में दस्ताना फैक्ट्री नेशविला रोड से गन्दे नाले इन्द्रा कालोनी तक सड़क का निर्माण	1.00	25.60	25.60
38	54	जनपद देहरादून में ग्राम जामनवाला नेमी नदी पर मोटर पुल का निर्माण	30 मीटर	275.74	203.00
		योगः–		3785.09	3603.10

(रूपये छत्तीस करोड़ तीन लाख दस हजार मात्र)

हस्ताक्षरित प्रमाणित

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर, चमोली)

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव